



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

" प्रभावी पैरवी कर गैर इरादतन हत्या के 05 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष कारावास व ₹31000/ के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 101/2017, धारा- 304,149 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एडीजे-4 कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त
1.श्रीमती सन्ध्या पत्नी बहुगुणा निषाद 2.रामबाबू पुत्र छोटा नि0गण ग्राम मौहर थाना सुमेरपुर
3.रामडॉक्टर पुत्र गंगा निषाद 4.बालेन्द्र पुत्र रामडॉक्टर निषाद 5.पूनम पुत्री रामडॉक्टर नि0गण बड़ागांव
थाना कदौरा जनपद जालौन को 10-10 वर्ष कारावास व ₹31000/ के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



ADGC
श्री चन्द्रप्रकाश गोस्वामी



विवेचक
उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह



पैरोकार थाना सुमेरपुर
का0 जगत सिंह